दिनांक 25.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 589 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा मात्र 08 मिनट में 19 वर्षीय युवक के घर पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा की गयी

- कमिश्नरेट गाजियाबाद, थाना नन्दग्राम की पुलिस द्वारा **मात्र 08 मिनट के अन्तराल में पीड़ित के घर पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा** की गयी।
- दिनांक 24-11-2026 की रात्रि में कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना नन्दग्राम क्षेत्र निवासी **19 वर्षीय युवक द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाने के कारण, उत्पन्न मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट** किया गया।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय द्वारा प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल पीड़ित की लोकेशन ट्रेस कर कमिश्नरेट गाजियाबाद को सूचित किया गया।
- दिनांक 01-01-2023 से 10-11-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर **कुल 4237 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards-2026 से सम्मानित किया गया है।

दिनांक 24-11-2026 को कमिश्नरेट गाजियाबाद, थाना नन्दग्राम निवासी **19 वर्षीय युवक द्वारा अपने हाथ पर ब्लेड से कट मारकर उससे खून बहता हुआ दिखाकर आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट** किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 24-11-2026 की रात्रि 08:12 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के माध्यम से अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा उक्त अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तदनुसार, मुख्यालय सोशल मीडिया सेंटर की टीम ने मेटा द्वारा उपलब्ध कराए गए युवक के मोबाइल नंबर की लोकेशन ज्ञात कर आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय सोशल मीडिया सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन के आधार पर कमिश्नरेट गाजियाबाद के **थाना नन्दग्राम में तैनात उप निरीक्षक श्री कमलदेव राणा , आरक्षी सतेंद्र कुमार व आरक्षी नरेंद्र मात्र 08 मिनट में पीड़ित के घर पहुँच गए** । पुलिस टीम ने पीड़ित द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए आत्महत्या संबंधी पोस्ट के बारे में उसके परिजनों को अवगत कराया तथा तत्काल उसके कमरे में पहुँची, वहाँ पीड़ित युवक पलंग पर बेसुध अवस्था में पड़ा था तथा उसके हाथ में ब्लेड के कट लगे हुए थे जिनसे ख़ून रिस रहा था।

पुलिस टीम ने बिना विलंब किए पीड़ित को नजदीकी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू कर दिया।

स्वास्थ्य में सुधार होने के उपरांत पूछताछ के दौरान पीड़ित ने **बताया कि वह मजदूरी करता है तथा एक युवती से प्रेम करता था। वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन कुछ समय पूर्व युवती ने अचानक उससे बातचीत बंद कर दी। इस कारण वह मानसिक रूप से व्यथित एवं भावनात्मक तनाव में रहने लगा। इसी तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या का प्रयास किया।**

पुलिस द्वारा की गई काउंसलिंग में युवक ने भविष्य में ऐसा कोई कदम नही उठाने का आश्वासन दिया। युवक के परिजनों द्वारा पुलिस की तत्परता, मानवीय संवेदनशीलता एवं सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिसकर्मियों की सराहना की गयी।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01-01-2023 से 31-10-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 4237 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।**

दिनांक 25.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 590/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद इटावा/थाना फ्रेंण्ड्स कालोनी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **02 लाख 32 हजार रूपये नगद**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 24/25.11.2026 की रात्रि थाना फ्रेंण्ड्स कालोनी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–गौतम 2–आसिफ मंसूरी 3–राम 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 02 लाख 32 हजार रूपये नगद, 01 कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना फ्रेंण्ड्स कालोनी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फ्रेंण्ड्स कालोनी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गौतम के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेंण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौतम निवासी मोहल्ला नकासा थाना कोतवाली जनपद इटावा।

2–आसिफ मंसूरी निवासी मोहल्ला शाहगंज थाना कोतवाली जनपद इटावा।

3–राम निवासी गाड़ीपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–02 लाख 32 हजार रूपये नगद।

3–01 कार।

कमिश्नरेट आगरा/थाना ताजगंज

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 दो पहिया वाहन**
- **2270/–रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 24.11.2026 को थाना ताजगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1–अजय 2–उपदेश उर्फ रॉकी 3–करन 4–गौरव 5–मनीष 6–शिवम उर्फ शक्तिमान को गिरफ्तार किया गया तथा 03 बालअपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 दो पहिया वाहन, 2270/–रूपये नगद आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना ताजगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी गढ़ी चॉदनी यमुना ब्रिज थाना एत्माद्दौला, आगरा।

2–उपदेश उर्फ रॉकी निवासी सुशीलनगर कबीर आश्रम यमुना ब्रिज स्टेशन एत्माद्दौला , आगरा।

3–करन निवासी सुशीलनगर यमुना ब्रिज स्टेशन एत्माद्दौला , आगरा।

4–गौरव निवासी सुशीलनगर यमुना ब्रिज स्टेशन एत्माद्दौला , आगरा।

5–मनीष निवासी सुशीलनगर यमुना ब्रिज स्टेशन एत्माद्दौला , आगरा।

6–शिवम उर्फ शक्तिमान निवासी सुशीलनगर यमुना ब्रिज स्टेशन एत्माद्दौला , आगरा।

बरामदगी

1–चोरी की 08 दो पहिया वाहन।

2–2270/–रूपये नगद आदि।

जनपद संतकबीरनगर/थाना दुधारा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **35 किलो अवैध गांजा**
- **2120/–रूपये नगद**
- **01 हुंडई कार बरामद**

दिनांक 25.11.2026 को थाना दुधारा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–सैदा हुसैन उर्फ अच्छू 2–मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 35 किलो अवैध गांजा, 2120/–रूपये नगद, 01 हुंडई कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना दुधारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सैदा हुसैन उर्फ अच्छू निवासी छपिया छितौना थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

2–मोहम्मद आदिल निवासी छपिया छितौना थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

1–35 किलो अवैध गांजा।

2–2120/–रूपये नगद।

3–01 हुंडई कार।

- **कमिश्नरेट आगरा/थाना एत्माद्दौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना एत्माद्दौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त देवेश को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 06 पॉस्को एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त समीर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 04 पॉस्को एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अरविन्द को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————